


FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

रघुनाथसिंह बनाम 35 प्लॉट
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 135/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p>14/06/23</p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>रघुनाथसिंह</u> पिता श्री <u>मोहनसिंह राजपूत</u> निवासी- <u>खोर</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>खोर</u> <u>(प.ह. जालमपुर)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>329 रकबा 0.39,</u> <u>414 रकबा 0.41; 471/797 रकबा 0.05</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> कुल रकबा <u>0.8500</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>खोर (प.ह. जालमपुर)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>329</u> <u>414</u> <u>471/797</u> <u>0.39</u> <u>0.41</u> <u>0.05</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> रकबा <u>0.8500</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000 = 00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ </p>